सोहन सिंह सोढ़ी

बनाम

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला

9 मई, 2007

[एस.बी.सिन्हा एवं मार्कंडेय काटजू, जे.जे.]

सेवा कानूनः

पदोन्नति- लाइनमेन को लाईन अधीक्षक के रूप में पदोन्नति- समान वरिष्ठता सूची रखने वाले इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारक लाइनमेन और गैर डिप्लोमाधारक लाईनमेन के बीच पदोन्नति में भेदभाव- विचारण न्यायालय ने माना अपीलार्थी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था- इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले के बाद उच्च न्यायालय ने इसे पलट दिया- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई- अपील पर, अभिनिर्धारित किया: जब शैक्षणिक योग्यता भिन्न हो तो वेतन में समानता का दावा नहीं किया जा सकता है- प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भिन्न वेतनमान निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार स्वतः भेदभाव नहीं है- ऐसे मामले में संविधान का अनुच्छेद 14 लागू नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पदधारी के दावों को सही ढंग से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का अनुपालन करते हुए एक

खंड पीठ के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें लाभ देने से इनकार कर दिया, जहां पदधारी से कनिष्ठ को ऐसा लाभ दिया गया था। भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14- राज्य विद्युत अधिनियम, 1948- धारा 12 एवं 15।

अपीलार्थी को लाइनमेन के रूप में नियुक्त किया गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया, हालांकि उसके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा नहीं था। रविन्दर कुमार, जो एक गैर डिप्लोमाधारक भी थे, ने डिप्लोमाधारक लाइनमेन बनाम गैर-डिप्लोमाधारक लाइनमेन के बीच लाइनमेन से लाइन अधीक्षक के रूप में पदोन्नत करने में कथित भेदभाव पर सवाल उठाते हुए एक वाद दायर किया। उस मामले में, अंततः मामला इस न्यायालय के समक्ष आया जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा यह सही अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी जो कि वादी से कनिष्ठ था कि लाइनमेन से लाइन अधीक्षक के पद पर पदोन्नति गलत और भेदभावपूर्ण है और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उक्त प्रत्यर्थियों की पदोन्नति की तिथि से लाइन अधीक्षक के पद पर पदोन्नत माना जाए। बाद में, इसी तरह के प्रकरण में, इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने पी.मरूगेसन एवं अन्य बनाम तमिलनाडू राज्य एवं अन्य [1993]2 एस.सी.सी. 340 जिसमें पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य वगैरह बनाम रविन्दर कुमार शर्मा एवं अन्य, को विशेष रूप से इस

न्यायालय की संवैधानिक पीठ के जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकीनाथ खोसा व अन्य [1974] एस.सी.सी.19 पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया था। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने भी समान लाभ का दावा किया। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि वादी-अपीलार्थी और रविन्दर कुमार शर्मा दोनों गैर-डिप्लोमाधारक थे और एक ही संवर्ग से संबंधित हैं, अपीलार्थी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पी.मुरूगेसन और अन्य बनाम तमिलनाडू राज्य और अन्य, में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा कर विचारण न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया गया। इसलिये, वर्तमान अपील दायर की गई है।

अपीलार्थी-कर्मचारी ने तर्क दिया कि रविन्दर कुमार शर्मा उससे कनिष्ठ हैं, प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा उसे समान वेतनमान नहीं देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1. राज्य विद्युत बोर्ड के पास विनियम बनाने की शक्ति है। यदि वह विनियम बना सकता है, तो किसी भी विनियम के अभाव में, कार्यकारी आदेश जारी करना विधि में अनुज्ञेय है। [पैरा 11][255-डी]

मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम जगदीन्द्र अर्जुन [2001] 6 एस.सी.सी. 446, पर भरोसा किया।

1.2 बोर्ड का शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भिन्न-भिन्न वेतनमान निर्धारित करने की क्षेत्राधिकारिता स्वतः भेदभाव नहीं है। [पैरा 12] [255-ई, एफ]

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकीनाथ खोसा और अन्य [1974]1 एस.सी.सी. 19, का अनुपालन किया।

पी.मुरूगेसन और अन्य बनाम तमिलनाडू राज्य और अन्य, [1993]2 एस.सी.सी. 340, पर भरोसा किया।

1.3 इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रविन्दर कुमार अपीलार्थी से कनिष्ठ था लेकिन उनका मामला पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य वगैरह बनाम रविन्दर कुमार शर्मा और अन्य में इस न्यायालय के फैसले के कारण अन्तिम हो गया है। हालांकि, इस निर्णय को इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है। अतः, अपीलार्थी को इस तथ्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता है कि उसके कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। [पैरा 14][256-बी, सी]

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकीनाथ खोसा और अन्य, [1974]1 एस.सी.सी.19, का अनुपालन किया गया।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य वगैरह बनाम रविन्दर कुमार शर्मा और अन्य, लागू नहीं है।

1.4. शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने पर वेतन में समानता का दावा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 15] [256-सी]

डब्ल्यू. बी. राज्य बनाम तरूण के. रॉय और अन्य [2004]1 एस.सी.सी.347, पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं० 2409/2007

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा आर.एस.ए. नं० 4871/2003 में पारित अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 31.03.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से गुरनाम सिंह, उज्जल सिंह, जे.पी.सिंह एवं आर.सी. कौशिक।

प्रत्यर्थी की ओर से सतिन्दर एस. गुलाटी और कमलदीप नारंग।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा जे. द्वारा दिया गया। 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील आर.एस.ए. नंबर 4871/2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31/3/2006 के

खिलाफ निर्देशित है, जिसमें विद्वान एडीजे पटियाला के दिनांक 24.04.2003 के निर्णय और आदेश जिसके द्वारा विचारण न्यायाधीश के फैसले और आदेश दिनांक 07.02.2001 को अपास्त कर दिया गया था, से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया गया है।

3. मामले के आधारभूत तथ्य विवादित नहीं है। अपीलार्थी को 8.8.1964 को लाइनमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे 15.03.1974 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। वह डिप्लोमा धारक नहीं था। प्रत्यर्थी बोर्ड, जिसका गठन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अनुसार किया गया है और इसकी धारा 12 के तहत निगमित है, पदधारियों द्वारा धारित योग्यता के आधार पर वेतनमान प्रदान करता है। रविन्दर कुमार जो डिप्लोमा धारक नहीं था, ने लाइनमैन से लाइन अधीक्षक के पद पर पदोन्नति में डिप्लोमा धारक लाइनमैन व गैर डिप्लोमा धारक लाइनमैन के बीच कथित भेदभाव पर प्रश्न उठाते हुए एक वाद दायर किया।

4. यह मामला सिविल अपील संख्या 3341 और 3342 (1983), पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला और अन्य वगैरह बनाम रविन्दर कुमार शर्मा और अन्य, ए.आई.आर. (1987) एस. सी. 367 प्रतिवेदित में इस न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः-

"8. इस अपील में उठाया एकमात्र विवाद्यक यह है कि क्या प्रत्यर्थी 1 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड डिप्लोमा धारक और गैर-डिप्लोमा धारक लाइनमैन के मध्य, जो कि लाइनमेन के एक ही संवर्ग से संबंधित है तथा राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश द्वारा निर्धारित कोटा के आधार पर पदोन्नति के सम्बन्ध में जिनकी सामान्य वरिष्ठता सूची है, चाहे लाइनमेन से लाइन अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हताएं या तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो या गैर डिप्लोमा धारकों के लिए मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/लाइनमेन/वायरमेन के व्यापार का डेढ़ साल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और मैट्रिक हो और पदोन्नति से तुरन्त पहले चार साल लगातार लाइनमेन के रूप में कार्य किया हो, जैसा कि कार्यालय आदेश संख्या 97/इ.एन.जी./बी.इ.टी./जी-33 दिनांकित 22.10.1968 द्वारा प्रावधान किया गया है, भेदभाव करने में सक्षम है।"

5. इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र विवाद्यक यह उठाया गया था कि क्या, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड पदोन्नति के उद्देश्य के लिए डिप्लोमा धारक और गैर डिप्लोमा धारक के मध्य राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित कोटा आदेश के आधार पर भेदभाव कर सकता है, चाहे लाइनमैन

से लाइन सुपरिटेंडेंट के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता या तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो अथवा डेढ़ साल का इलेक्ट्रीशियन/लाइनमैन/वायरमैन इलेक्टीकल ट्रेडस का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हुआ हो।

6. रविन्दर कुमार का दावा प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र पर आधारित था जिस पर इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में विचार कर निम्नलिखित मत दिया:-

> "11. यह विचार वर्तमान मामले पर पूरी ताकत से लागू होता है, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी 3 से 7, जो वादी-पतिवादी से कनिष्ठ है, की लाइनमैन से लाइन सुपरिटेंडेंट के पद पर की गई पदोन्नति, पूरी तरह से गलत और भेदभावपर्ण है और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उस दिन से लाइन अधीक्षक के पद पर पदोन्नत माना जाए जिस दिन उक्त प्रतिवादीगण 3 से 7 को लाइनमैन से लाइन अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। हमारी सुविचारित राय में निचली अदालतों के फैसले और डिक्री की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले मे कोई खामी नहीं है और हम निचली अदालतों द्वारा दिये गये तर्कों और निष्कर्षों से सहमत हैं।

इसलिए, विशेष अनुमति की दो अपीलें 5000/- रूपये की लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं, जो सीए नंबर 3341 (1983) के अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को अदा की जाएगी।"

7. हालांकि, हम देख सकते हैं कि यह मामला पी. मुरूगेसन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [(1993) 2 एससीसी 340] के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया था, जिसमें रविन्दर कुमार (उपर्युक्त) को विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य [1974(1) एससीसी 19] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया था।

8. उसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया थाः-

"19. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम रविन्दर कुमार शर्मा के फैसले पर भरोसा किया, जिसका निर्णय ए पी सेन और बीसी रे, जे जे की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा में लाइनमैन की श्रेणी में डिप्लोमाधारक और अन्य जिन्हे गैर-डिप्लोमाधारक कहा जा सकता है, दोनों शामिल है। उन्होंने एक समान वरिष्ठता सूची वाली एक एकल श्रेणी का गठन किया। अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत जारी नियमों के तहत

डिप्लोमाधारकों के लिए एक कोटा निर्धारित किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो डिप्लोमाधारक गैर-डिप्लोमाधारकों से कनिष्ठ थे, उन्हें गैर-डिप्लोमाधारकों की अवहेलना करते हुए पदोन्नत कर दिया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, पटियाला द्वारा नियम को गलत अभिनर्धारित किया गया। अपील पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पटियाला ने फैसले की पुष्टि की। जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की थी। मामला इस न्यायालय के समक्ष लाया गया। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि खंडपीठ का ध्यान न तो टी.एन. खोसा और न ही अन्य फैसलों की ओर लाया गया। केवल पूर्व में उदधृत शुजात अली में पारित निष्कर्ष का संदर्भ दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि डिप्लोमाधारकों और गैर-डिप्लोमाधारकों के बीच किया गया अंतर गलत एवं भेदभावपूर्ण था। उस मामले और हमारे समक्ष मौजूद मामले के बीच तथ्यों पर अंतर के अलावा, यह स्पष्ट है कि टी.एन. खोसा और विषय के तहत प्रासंगिक अन्य निर्णयों पर विचार न करने के कारण एक प्रस्ताव रखा गया है जो टी.एन. खोसा के विपरीत लगता है। उस प्रकरण पर निर्णय देने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति

बहुत सम्मान के साथ, हम मामले से उत्पन्न व्यापक प्रस्थापना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।"

9. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में कि, वादी-अपीलार्थी और रविन्दर कुमार दोनों ही गैर-डिप्लोमाधारक है और एक ही संवर्ग से संबंधित है, अपीलार्थी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था, रविन्दर कुमार (उपर्युक्त) में दिये गए निर्णय पर भरोसा किया है तथापि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पी. मुरूगेसन (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

10. श्री गुरूनाम सिंह, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देंगे कि चूंकि उक्त रविन्दर कुमार शर्मा अपीलार्थी से कनिष्ठ है, प्रत्यर्थी की ओर से, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य है, समान वेतनमान न देने की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

11. राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,1948 की धारा 79 (सी) के तहत परिपत्र जारी करने की शक्तियां पर कोई विवाद नहीं है। इनके पास नियम बनाने की शक्ति है। यदि यह विनियम बना सकता है, तो किसी भी विनियम के अभाव में, कार्यकारी आदेश जारी करना विधि में अनुमत है। अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारीयों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले

विनियमों को तैयार करने की शक्ति को विवादित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अपने कर्मचारीयों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम या विनियमों के अभाव में प्रशासनिक आदेश जारी करना विधितः अनुज्ञेय है मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम जगदीन्द्र अर्जुन [2001] 6 एस.सी.सी.446 देखें।

12. बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र जो कि प्रवेशन पद पर वेतनमान को समानता प्रदान करता है, न कि किसी उच्च पद पर। अतः उक्त परिपत्र इस मामले में लागू नहीं होता है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कर्मचारियों के अलग-अजग वेतनमान निर्धारित करने की बोर्ड की क्षेत्राधिकारिता स्वतः भेदभाव नहीं है। {त्रिलोकी नाथ खोसा (उपर्युक्त), पंजाब राज्य और अन्य बनाम वी. कुलदीप सिंह और अन्य [2002] 5 एस.सी.सी. 756 देखें}

13. पी. मुरूगेसन (उपर्युक्त) में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है:-

> ''..... इस व्यापक कोण से देखने पर, ऐसा प्रतीत प्रतीत हो सकता है कि प्रत्यर्थीगण जो तर्क देते हैं, उनमें कुछ बल है कि जब स्नातक इंजीनियर और डिप्लोमाधारक इंजीनियर एक वर्ग का गठन करते हैं, समान कर्तव्यों का पालन करते हैं और समान दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो अकेले

डिप्लोमाधारक पर प्रतिबन्ध (उनकी पदोन्नति की संभावना को चार पदोन्नति में से एक पदोन्नति तक सीमित करना, जैसा कि आक्षेपित संशोधन द्वारा किया गया है) न्यायोचित नहीं है लेकिन यह इस विवाद्यक को देखने का एक बहुत सरल तरीका हो सकता है। हम इस तथ्य पर ध्यान देने से नहीं चूक सकते कि 1974 से ही, त्रिलोकी नाथ खोसा 1 में संविधान पीठ के फैसले के बाद से, यह न्यायालय एकरूपता से यह मानता रहा है कि जहां सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों को एक सामान्य वर्ग में एकीकृत किया जाता है, उन्हें उच्च कैडर में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।"

14. इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रविन्दर कुमार अपीलार्थी से कनिष्ठ था लेकिन रविन्दर कुमार (उपर्युक्त) में निर्णय के कारण उसका मामला अन्तिम हो गया है। हालांकि, उस निर्णय को इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, और इसलिये हमारे समक्ष अपीलार्थी को इस तथ्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता है कि उसका कनिष्ठ पदोन्नत हो चुका है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा।

15. डब्ल्यू.बी. राज्य बनाम तरूण के. रॉय और अन्य, [2004] 1 एस.सी.सी. 347 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कई

अन्य फैसलों को ध्यान में रखते हुए राय दी कि जब शैक्षिक योग्यता भिन्न हो तो वेतन में समानता का दावा नहीं किया जा सकता है।

16. इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

एस.के.एस. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अंकुर अग्रवाल (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।